## समक्षः– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमॉक :

प्रस्तुति दिनॉक : 26.10.2015

धरमदास कुम्हार उम्र करीब 66 वर्ष पिता स्व. कामता कुम्हार

निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला–दमोह (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .....गैरनिगरानीकर्ता

**निगरानी अंर्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय् तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमॉक 73 अ/68, बर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 05.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय् के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।**

मान्यवर्

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :–

### प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता नगर हटा खास के पटवारी हल्का नं. 32 चण्डी जी वार्ड तहसील हटा जिला दमोह का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता के पिता ने निगरानीकर्ता के बड़े भाई बाबूलाल कुम्हार के नाम से जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3481-दो/2015 जिला दमोह धरमदास विरूद्ध म.प्र.शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक के प्रकरण क्रमांक 73/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-10-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br><br>4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य